

औचित्यपूर्णता अवधारणा का विकास (Evolution of the concept of Legitimacy)

इस शब्द की व्युत्पत्ति, लैटिन भाषा के 'Legitimus' से हुई है और मध्यकाल में इसे 'Legitimitas' या आंग्ल भाषा में 'Legit' अर्थात् 'वैधानिक' कहा गया। औचित्यपूर्णता के विचार या धारणा का अपना एक लम्बा इतिहास है। लैटिन ने 'न्याय' भावना के अन्तर्गत औचित्यपूर्णता का बीजावेषण कर दिया था। उसके अनुसार प्रत्येक शासन का बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए तथा उसकी पड़े नैतिक मूल्यों, दीर्घकालीन विचारों और सामान्य स्वीकृति की बाहराई में नहीं हुई होनी चाहिए। अरस्तू ने कानून सम्मत शासन या वैधानिक शासन के रूप में इस अवधारणा का चित्रण किया है। बिसेले ने 'Legitimum' शब्द का प्रयोग 'विधि' द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। बाद में इसका प्रयोग प्राचीन परम्पराओं के प्रति अनुकूलता, लिंगगत शिमाविधियों, वैधानिक नियमों एवं दुल्भपस्था के तत्वों के लिए ग्रहण किया जाने लगा। मध्यकाल में अन्धधारी अथवा अंधली शासन तथा न्यायभ्रूत धार्मिक शासन के बीच अन्तर बतलाते हुए इसका उल्लेख किया गया। अरस्तू ने तर्क ग्रहण करते हुए आर्गुलिना ऑफ येडुआ ने इस शब्द की धर्मशास्त्रीय धारणा के दृष्टान्त पर वैधानिक धारणा प्रस्तुत की। लॉक ने सहमति एवं समझौते की धारणा के माध्यम से इस विचार का दृढ़ समर्थन किया।

आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के

Animesh

दस्य में इसका पहली बार प्रतिपादन मैक्स वेबर द्वारा किया गया। उसके अनुसार औचित्यपूर्णता विस्थापन पर आधारित होती है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आजापान की स्थिति प्राप्त करती है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के आधार पर भी विद्वत विचार किया है। उसने औचित्यपूर्णता के तीन आधार बताये हैं: परम्परागत, वैदिक कानूनी और परिष्कारक। एक अन्य विचारक जॉर्ज रिमर (Georg Simmel) ने लोकतान्त्रिक औचित्यपूर्णता की समस्या पर विचार किया है। गुगलील्मो कैरो (Luigi Galasso) ने लोकतान्त्रिक औचित्यपूर्णता के दो आधार, (i) बहुमत तथा (ii) अल्पसंख्यक विरोधी दल बताये हैं। वह मैक्स वेबर के औचित्यपूर्णता का अनिर्णय तत्व नहीं मानता। लोकतन्त्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत औचित्यपूर्णता के प्रयोग में एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि एक सीमित मात्रा में विरोध का अस्तित्व भी औचित्यपूर्णता का परिचायक समझा जाता है।

Aimesh